

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची—प्रपत्र—1 (A)—कक्षा—10वीं
गतिविधि—(1) खेलकूद (व्यक्तिगत एवं समूह खेल में प्रथम से तृतीय स्थान)

सत्र

1

क्र.	शाला का नाम	शाला का कोड	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो. नं.	खेल का प्रकार— व्यक्तिगत / समूह	प्राप्त सीन		विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नमांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक		
					प्रथम / द्वितीय / तृतीय							राज्य (10अंक)	राष्ट्रीय (15अंक)	अंतरराष्ट्रीय (20अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

प्रमाणीकरण— प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त (टी. डब्ल्यू. डी.)
संस्था प्रमुख राज्य / विभाग प्रमुख
नाम लोक शिक्षण संचालनालय
पदमुद्रा

टीप :- 01 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।

- 02 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रामाण्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
- 03 जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 04 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल / एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट एवं गाइड / साक्षर भारत कार्यक्रम के संबंधित राज्य प्रमुख / विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
- 05 खेल / एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट एवं गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख / विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों से प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 06 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख / विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0ग10 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
- 07 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंकों की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
- 08 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-1 (B) - कक्षा-12वीं
गतिविधि-(1) खेलकूद (व्यक्तिगत एवं समूह खेल में प्रथम से तृतीय स्थान)

सत्र

2

क्र.	शाला का नाम	शाला का कोड	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो.नं.	खेल का प्रकार- व्यक्तिगत / समूह	प्राप्त सीन		विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक		
					प्रथम /द्वितीय /तृतीय							राज्य (10अंक)	राष्ट्रीय (15अंक)	अंतर्राष्ट्रीय (20अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रमुख

नाम

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त (टी.डब्ल्यू.डी.)

नाम

हस्ताक्षर

राज्य / विभाग प्रमुख

नाम

पदमुद्रा

पदमुद्रा

पदमुद्रा

लोक शिक्षण संचालनालय

टीप :- 01 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।

02 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निम्नलिखित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।

03 जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।

04 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल / एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट एवं गाइड / साक्षर भारत कार्यक्रम के संबंधित राज्य प्रमुख / विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।

05 खेल / एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट एवं गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख / विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों से प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।

06 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख / विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0ग10 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।

07 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंकों की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।

08 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-II (A)- कक्षा-10वीं
गतिविधि-(2) एन0सी0सी0 (पुरस्कृत)

3

क्र.	शाला का नाम	शाला का कोड	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो.नं.	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नमांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	स्तरानुसार निर्धारित अंक			
									आर.डी. परेड (15अंक)	मवलकर शुदिग (15अंक)	वायुसैनिक/नौसैनिक/थल सैनिक कैम्प हेतु (15अंक)	डी0 कैंट-1 परेड हेतु (10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर
 संस्था प्रमुख
 नाम
 पदमुद्रा

हस्ताक्षर
 जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त (टी.डब्ल्यू.डी.)
 नाम
 पदमुद्रा

हस्ताक्षर
 राज्य / विभाग प्रमुख
 नाम
 पदमुद्रा

लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :- 01 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।
- 02 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निम्नलिखित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
- 03 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खलकट एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 04 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड/साक्षर भारत कार्यक्रम के संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
- 05 खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों से प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 06 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
- 07 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंकों की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
- 08 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-II (B)- कक्षा-12वीं
गतिविधि-(2) एन0सी0सी0 (पुरस्कृत)

सत्र

4

क्र.	शाला का नाम	शाला का कोड	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो.नं.	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नमूकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	सत्रागुसार निर्धारित अंक			
									आर.डी. परेड (15अंक)	मवलंकर शुद्धिग (15अंक)	वायुसैनिक/नौसैनिक/थल सैनिक कैम्प हेतु (15अंक)	डी0 कैंट-1 परेड हेतु (10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर
संस्था प्रमुख
नाम

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त (टी.डब्ल्यू.डी.)
नाम

हस्ताक्षर
राज्य / विभाग प्रमुख
नाम

पदमुद्रा
संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :- 01 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।
- 02 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निम्नलिखित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
- 03 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 04 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड/साक्षर भारत कार्यक्रम के संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
- 05 खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड एवं राष्ट्रीय भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों से प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित क जावेगी।
- 06 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
- 07 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
- 08 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-III (A)- कक्षा-10वीं
गतिविधि-(3) एन0एस0एस0 (पुरस्कृत)

5

क्र.	शाला का नाम	शाला का कोड	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो.नं.	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के शैल नम्बर		नमांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	निर्धारित अंक
					पिता का नाम	शैल नम्बर			आर0 डी0 परेड हेतु (10 अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर
संस्था प्रमुख
नाम
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी / सहा. आयुक्त (टी.डब्ल्यू.डी.)
नाम
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
राज्य / विभाग प्रमुख
नाम
पदमुद्रा

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :- 01 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।
02 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राथम्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
03 जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
04 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल / एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट एवं गाइड / साक्षर भारत कार्यक्रम के संबंधित राज्य प्रमुख / विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
05 खेल / एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट एवं गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख / विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों से प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
06 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख / विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0ग10 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
07 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
08 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-III (B)- कक्षा-12वीं
गतिविधि-(3) एन0एस0एस10 (पुरस्कृत)

6

क्र.	शाला का नाम	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो.नं.	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	निर्धारित अंक
								आर0 डी0 परेड हेतु (10 अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर
 संस्था प्रमुख
 नाम
 पदमुद्रा
 हस्ताक्षर
 जिला शिक्षा अधिकारी / सहा. आयुक्त (टी.डब्ल्यू.डी.)
 नाम
 पदमुद्रा
 हस्ताक्षर
 राज्य / विभाग प्रमुख
 नाम
 पदमुद्रा
 लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :- 01 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।
 02 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
 03 जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
 04 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल / एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट एवं गाइड द्वारा निर्धारित प्रपत्रों भारत कार्यक्रम के संबंधित राज्य प्रमुख / विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
 05 खेल / एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट एवं गाइड एवं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय अनुदेशकों से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख / विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों से प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
 06 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख / विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0ग10 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
 07 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
 08 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-VI (A)- कक्षा-10वीं
गतिविधि-(4) स्काउट / गार्ड (पुरस्कृत)

सत्र

7

क्र.	शाला का नाम	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो.नं.	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नामांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	निर्धारित अंक	
								राज्यपाल पुरस्कार हेतु (10 अंक)	राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु (15 अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर
 संस्था प्रमुख
 नाम
 पदमुद्रा

हस्ताक्षर
 जिला शिक्षा अधिकारी / सहा. आयुक्त (टी.डब्ल्यू.डी.)
 नाम
 पदमुद्रा

हस्ताक्षर
 राज्य / विभाग प्रमुख
 नाम
 पदमुद्रा

संचालक
 लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :- 01 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।
 02 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचय द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
 03 जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
 04 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल / एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट / साक्षर भारत कार्यक्रम के संबंधित राज्य प्रमुख / विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
 05 खेल / एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख / विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों से प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
 06 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख / विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
 07 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
 08 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-VI (B)- कक्षा-12वीं
गतिविधि-(4) स्काउट / गार्ड (पुरस्कृत)

8

क्र.	शाला का नाम	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो.नं.	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नंबर	नमांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	निर्धारित अंक	
								राज्यपाल पुरस्कार हेतु (10 अंक)	राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु (15 अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर
संस्था प्रमुख
नाम
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी / सहा. आयुक्त (टी. डब्ल्यू. डी.)
नाम
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
राज्य / विभाग प्रमुख
नाम
पदमुद्रा

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

- टीप :- 01 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।
02 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचय द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
03 जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
04 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल / एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट / साक्षर भारत कार्यक्रम के संबंधित राज्य प्रमुख / विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
05 खेल / एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट एवं गार्ड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख / विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों से प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
06 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख / विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर का प्रेषित की जावेगी।
07 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
08 बोनस अंक केवल अध्ययनरत स्त्र पर ही दिया जावेगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-V (A)- कक्षा-10वीं
गतिविधि-(5) साक्षर भारत कार्यक्रम अनु देशक (प्रशिक्षित पंजीकृत)

9

क्र.	शाला का नाम	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो.नं.	शाला का कोड	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	रोल नम्बर	नमांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	निर्धारित अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									प्रशिक्षित हों, पंजीकृत हों, 10 असाक्षरों को बेसिक प्राइमर (सेतु प्रवेशिका) का अध्यापन करायकर शिक्षार्थी आकलन में 'क' एवं 'ख' श्रेणी से उत्तीर्ण कराय हों।
									10 अंक

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर
संस्था प्रमुख
नाम
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त (टी.डब्ल्यू.डी.)
नाम
पदमुद्रा

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

टीप :- 01 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।

- 02 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।
- 03 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 04 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड/साक्षर भारत कार्यक्रम के संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।
- 05 खेल/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों से प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।
- 06 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छोगा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।
- 07 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।
- 08 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के लिए बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-V (B)- कक्षा-12वीं
गतिविधि-(5) साक्षर भारत कार्यक्रम अनु देशक (प्रशिक्षित पंजीकृत)

10

क्र.	शाला का नाम	संस्था प्रमुख का नाम एवं मो.नं.	शाला का कोड	विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी के पिता का नाम	येल नम्बर	नमांकन क्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	निर्धारित अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									प्रशिक्षित हों, पंजीकृत हों, 10 असाक्षरों को बैसिक प्राइमर (सेतु प्रवेशिका) का अध्यापन कराकर शिक्षार्थी आंकलन में 'क' एवं 'ख' श्रेणी से उत्तीर्ण कराया हों।
									10 अंक

प्रमाणीकरण- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र से संबंधित उपरोक्त जानकारी सही है।

हस्ताक्षर
संस्था प्रमुख
नाम
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त (सी. डब्ल्यू. डी.)
नाम
पदमुद्रा

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

टीप :- 01 संबंधित कॉलम में प्रविष्टि की जावे।

02 चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी /सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित की जावेगी।

03 जिला शिक्षा अधिकारी /सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित की जावेगी।

04 संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल /एन.सी.सी. /एन.एस.एस. /स्काउट एवं गाइड /साक्षर भारत कार्यक्रम के संबंधित राज्य प्रमुख /विभाग प्रमुख को प्रेषित की जावेगी।

05 खेल /एन.सी.सी. /एन.एस.एस. /स्काउट एवं गाइड एवं भारत सरकार के कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का संबंधित राज्य प्रमुख /विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों से प्रमाणीकरण कर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्राप्त किया जावेगी।

06 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संबंधित राज्य प्रमुख /विभाग प्रमुख से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छठगठ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।

07 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंकों की प्रविष्टि संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।

08 बोनस अंक केवल अध्ययनरत सत्र पर ही दिया जावेगा।